RBE No.160/2019
Clarification/Corrigendum No. 106

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. 2018/E(Sports)/4(3)/4/Policy

New Delhi, dated 27.09.2019

The General Managers(P),
All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R). DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

Sub: Out-of-Turn Promotions(OTP) to outstanding Sportspersons and Coaches to Officer Grade on sports accounts.

Attention is invited to Railway Board's letter of even number dated 17.08.2018 laying down the policy of Out-of-Turn Promotions for outstanding sportspersons and coaches to Officer Grade.

2. References are being received from various Railways seeking various clarifications. The same have been examined and decided as under:-

S.L.	Query	S.L.	Clarification
1	Whether the Board's policy letter dated 17.8.2018 has been issued with the concurrence of Finance Directorate/Railway Board.	1	The policy has been issued in consultation with Finance Directorate of Railway Board.
2	Whether a Special Supernumerary Group 'B' post may be created under GM's power with matching surrender for accommodating the said sportsperson.	2	Any existing vacant Group 'B' post of concerned Zonal Railway may be utilized for promoting sportsperson as OSD (Sports) under this policy.
3	Whether the Achievements for which OTP/Increments in Group 'C' have already been given may be considered for Officer Grade promotion also.	3	The achievements (for which OTP/increments in Group 'C'/non-gazetted category have already been given) can also be considered for grant of promotion to sportspersons in Officer Grade subject to fulfillment of the conditions mentioned in Board's letter dated 17.8.2018.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director /Estt. (Sports)
Railway Board

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
प्रचारित
ई०पी०सं०... 08-73
क्रमांक सं०.. 246/2019
पत्र सं०.. E/254/21/Part-23/IV
दिनांक... 13.12.2019
कृते महाप्रबन्धक (कार्मिक)

दिनांक 10.10.19
प्रमुकाधि
मुकाधि/प्र0
DY. CPO/NG
APO/HQ ch.os) Rulungi

(50)

आरबीई सं.160/2019

स्पष्टीकरण/शुद्धिकरण सं.106

भारत सरकार / Government of India
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)

सं.2018/ई(स्पोर्टस)/4(3)/4/पॉलिसी **नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
NER **सभी क्षेत्रीय रेलें और सीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू, आईसीएफ,**
आरसीएफ, आरडब्ल्यूएफ, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,
सीएओ (आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला,
महानिदेशक, आरडीएसओ/लखनऊ।

447

विषय: उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को खेलकूद आधार पर बिना बारी पदोन्नति के अधिकारी ग्रेड प्रदान करना।

आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.08.2018 के समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को खेलकूद आधार पर बिना बारी के अधिकारी ग्रेड प्रदान करने की नीति निर्धारित की गई है।

2. विभिन्न रेलों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें कई स्प्ष्टीकरण मांगे गए हैं। इनकी जांच की गई है और निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:

1073 R 14.10

क्र.सं.	प्रश्न	क्र.सं.	स्पष्टीकरण
1	क्या बोर्ड के दिनांक 17.08.2018 के पत्र के तहत बोर्ड की नीति को रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है।	1	यह नीति रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय के परामर्श से जारी की गई है।
2	क्या महाप्रबंधकों की शक्तियों के अधीन उक्त खिलाड़ियों को एकोमोडेट करने के लिए मैचिंग सरेंडर सहित विशेष अधिसंख्य ग्रुप 'बी' पद सृजित किया जाए।	2	खिलाड़ी को पदोन्नत करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के किसी भी मौजूदा रिक्त ग्रुप 'बी' पद का इस नीति के अंतर्गत ओएसडी (खिलाड़ी) के रूप में उपयोग किया जाए।

---/-

3	क्या अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति में भी उन उपलब्धियों पर विचार किया जाए, जिसके लिए ग्रुप 'सी' में बिना बारी के पदोन्नति/वेतनवृद्धि दी गई है।	3	खिलाड़ियों को अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत करने के लिए उपलब्धियों (जिसके लिए ग्रुप 'सी'/अराजपत्रित कोटि में बिना बारी पदोन्नति/वेतनवृद्धि पहले ही दी जा चुकी है) पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते वह बोर्ड के दिनांक 17.08.2018 के पत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(भास्कर रॉय चौधरी)
उप निदेशक, स्थापना (खेलकूद)
रेलवे बोर्ड

सं.2018/ई(स्पोर्टस)/4(3)/4/पॉलिसी **नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019**

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और अन्य इकाइयां।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.2018/ई(स्पोर्टस)/4(3)/4/पॉलिसी **नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019**

प्रतिलिपि:

1. मानद महासचिव, सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के खेलकूद संघ।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
3. महासचिव, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, 7-जीएफ, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नंबर 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन कुमार
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड